झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-: अधिसूचना :-

रांची, दिनांक- 04/06/ 2007

संख्या-7/वि॰वि॰सं॰-03-97/2005 (पार्ट-1) 2779/ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा-27 की उप धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार, झारखंड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. झारखंड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में -

(क) नियम 3 में, "बैंकर चैक" शब्दों के पश्चात् "या भारतीय पोस्ट आर्डर या नॉन जुडिशियल स्टाम्प" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे,

(ख) नियम 4 में, "बैंकर चैक" शब्दों के पश्चात, "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर या नॉन जुडिशियल स्टाम्प" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे,

(ग) नियम 5 में, "बैंकर चैक" शब्दों के पश्चात् "या भारतीय पोस्टल आर्डर या नॉन जुडिशियल स्टाम्प" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे,

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(एस॰ के॰ शतपथी),
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि॰वि॰सं॰--03--97/2005 (पार्ट-1) 2779/रांची, दिनांक- 04/06/, 2007

प्रतिलिपि- झारखंड सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

25.5.2007
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि॰वि॰सं॰--03--97/2005 (पार्ट-1) 2779/रांची, दिनांक- 04/06/, 2007

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी निगम/निकाय/उपक्रम/गैर सरकारी संस्थाएं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.5.2007
सरकार के सचिव ।